TO BE PUBLISHED IN PART-I SECTION-I OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

Udyog Bhavan, New Delhi
11th December, 2014

Sub : **Extension of operation of residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2015.**

No.1/61/2004-Exports-I (1) – The Government, vide Notification No.1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1st January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended upto 31st December, 2014.

2. The Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1st January, 2015.

3. All other terms and conditions of the Notification dated 9th November, 2004 mentioned in Para 1 shall remain unchanged.

(Indrani Kaushal)
Additional Economic Adviser Government of India
Ph. 2306 3625
Fax No.2306 1973
Email: teptj2@nic.in

To

The Manager,
Government of India Press,
Faridabad, Haryana.

TO BE PUBLISHED IN PART-I SECTION-I OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

Udyog Bhavan, New Delhi
11th December, 2014

Sub : **Extension of operation of residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2015.**

No.1/61/2004-Exports-I (2) – The Government, vide Notification No.1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1st January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended upto 31st December, 2014.

2. The Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1st January, 2015.

3. All other terms and conditions of the Notification dated 9th November, 2004 mentioned in Para 1 remain unchanged.

(Indrani Kaushal)
Additional Economic Adviser Government of India
Ph. 23063625
Fax No.2306 1973
Email: teptj2@nic.in

To

The Manager,
Government of India Press,
Faridabad, Haryana.

(भारत के राजपत्र के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ(

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 11th दिसंबर, 2014

विषयनीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के (कोटा) परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी : प्रचालन को1 जनवरी 2015 से आगे बढ़ाया जाना।

सं .1/61/2004-निर्यात-I (2) - सरकार द्वारा परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को दिनांक (कोटा)9 नवंबर, 2004 की अधिसूचना सं.1/61/2004-निर्यात-I द्वारा प्रारंभ में 1 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया था तथा उन्हें तत्पश्चात समयसमय पर बढ़ाया गया था। इन प्रावधानों को - इस बीच31 दिसम्बर 2014 तक बढ़ाया गया है।

2. सरकार ने एतदद्वारा परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी नीति के अवशिष्ट (कोटा) प्रावधानों के प्रचालन को1 जनवरी, 2015 से आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 9 नवम्बर 2004 की अधिसूचना के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(इन्द्रानी कौशल(
अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार
दूरभाष:23061829
फैक्स सं:.23061973
ई:मेल-tptj2@nic.in

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद, हरियाणा।

(भारत के राजपत्र के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ(

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 11th दिसंबर, 2014

विषययार्न :, फैब्रिक्स एवं मेडनीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के (कोटा) निर्यात हकदारीअप्स- प्रचालन को1 जनवरी 2015 से आगे बढ़ाया जाना।

सं .1/61/2004-निर्यात-I (1) - सरकार द्वारा यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड निर्यात अप्स- नीति के अवशिष्ट प्रावधानो (कोटा) हकदारीं के प्रचालन को दिनांक 9 नवंबर, 2004 की अधिसूचना सं.1/61/2004-निर्यात-I द्वारा प्रारंभ में 1 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया था तथा उन्हें तत्पश्चात समयसमय पर बढ़ाया गया था। इन - प्रावधानों को इस बीच31 दिसम्बर 2014 तक बढ़ाया गया है।

2. सरकार ने एतदद्वारा यार्न, फैब्रिक्स एवं मेडनीति के (कोटा) निर्यात हकदारीअप्स- अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को1 जनवरी, 2015 से आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 9 नवम्बर 2004 की अधिसूचना के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(इन्द्रानी कौशल(
अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार

दूरभाष:23061829
फैक्स सं:.23061973
ई:मेल-tptj2@nic.in

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद, हरियाणा।